UPSR010007552021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती।

पीठासीन अधिकारी–सुदामा प्रसाद, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D– UP–5963

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या– **66/2021**

जगप्रसाद बनाम सुखराम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–165(3) दं०प्र०सं०

थाना–भिनगा , जिला– श्रावस्ती

दिनांक 16–08–2021

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं०

आवेदक जगप्रसाद का संक्षिप्त कथन है कि दिनांक 24–04–2021 की रात्रि 12–1 बजे विपक्षी सुखराम अपने सहयोगी रिंकू, पिन्टू व किशोर को बाहर दरवाजे पर देखरेख करने के लिए खड़ा कर खुद घर में घुस गया, मेरी नाबालिक लड़की उम्र 14 वर्ष का हाथ पकड़कर बाहर घसीटने का प्रयास करते हुए छेड़छाड अश्लील हरकत करने का प्रयास करने लगा। लड़की की आंख खुल गयी और चिल्लायी तो विपक्षी उपरोक्त भागे तथा घर वालों ने दौड़ाया विपक्षीगण गाली गुप्ता देते हुए व जान माल की धमकी देते हुए भाग गये। घटना की सूचना थाने पर दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। अतः एफ०आई०आर० दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक द्वारा अपना शपथ पत्र दिया गया है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदक के प्रार्थना पत्र पर कोई एफ०आई०आर० दर्ज नहीं हुयी है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र में आवेदक ने विपक्षी सुखराम पर अपनी नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर घर से बाहर पकड़कर घसीटने का प्रयास करने का आरोप लगया है साथ ही विपक्षी रिंकू, पिन्टू व किशोर को रखवाली के लिए घर के बाहर खड़े करने की बात बतायी है जाते समय विपक्षीगण द्वारा गाली गुप्ता और जान माल की धमकी देने का कथन किया है। आवेदक को घटना सम्बन्धी समस्त तथ्यों की जानकारी है। प्रार्थना पत्र के साथ पीड़िता की कोई भी आघात आख्या दाखिल नहीं की गयी है। विपक्षीगण का नाम पता ज्ञात है तथा किसी वस्तु के बरामदगी का प्रश्न नहीं है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुखबासी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य 2008 क्रि० ला० जर्नल पृष्ठ 472 व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2001 (43) ए०सी०सी०

50 में प्रतिपादित सुसंगत विधि सिद्वान्त के आलोक में आवेदक के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करना उचित होगा।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते बयान परिवादी धारा–200 दं०प्र०सं० दिनांक 02–09–2021 को पेश हो।

दिनांक 16–08–2021

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती